



32/2026/1/1225513/2026

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
संयुक्त सचिव
उOप्रO शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उOप्रO, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 10 फरवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय, शाहजहाँपुर की बाउण्ड्रीवाल एवं मुख्य द्वार के निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2025-26/412, दिनांक 29.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय, शाहजहाँपुर की बाउण्ड्रीवाल एवं मुख्य द्वार के निर्माण कार्य हेतु तकनीकी समिति द्वारा आकलित लागत ₹0 206.85 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किस्त के रूप में ₹0 100.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-125/2024/1/799819/2024-71-3002(001)/1/2022-03, दिनांक 20.11.2024 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय, शाहजहाँपुर की बाउण्ड्रीवाल एवं मुख्य द्वार के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4210-03-105-81 में मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि ₹0 500.00 लाख के सापेक्ष ₹0 106.85 लाख (₹0 एक करोड़ छः लाख पचासी हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियाँ तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराये जाने की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
3. महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। प्रस्तावित कार्य की दुरावृत्ति न हो रही हो।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. शासनादेश संख्या-125/2024/1/799819/2024-71-3002(001)/1/2022-03, दिनांक 20.11.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,06,85,000 (रुपये एक करोड़ छः लाख पचासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031058100 मेडिकल कालेज, शाहजहाँपुर मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य** के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत् प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(चन्द्र शेखर मिश्र)

संयुक्त सचिव।

संख्या:- उपरोक्त, तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहाँपुर।
4. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहाँपुर।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, शाहजहाँपुर।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)

संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।